बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0–09/2022...5966...पटना, दिनांक :–25/10/2023

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बीस जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के सतत् अनुश्रवण करने के क्रम में विशेष सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों के क्रियान्वयन में शिविर स्तर पर विलंब परिलक्षित हो रहे है, जबकि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम सरकार का एक समयबद्ध कार्यक्रम है एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 एवं संशोधित नियमावली, 2019 में प्रत्येक प्रक्रम को पूर्ण करने का समय निर्धारित है।

अतः कार्यहित में सभी संबंधित को निदेश दिया जाता है कि निम्नांकित सूची अनुसार विशेष सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे–

क्र0	विशेष सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्रक्रम का नाम	समयावधि
01.	खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) का लेखन एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में इंट्री	(i) 5000 खेसरा तक– 15 दिन (ii) 5000 खेसरा से अधिक– 25 दिन
02.	किस्तवार एवं खानापुरी	(i) 5000 खेसरा तक– 120 दिन (ii) 5000 खेसरा से अधिक– 150 दिन
03.	भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र–6 में प्रविष्टि	(i) 5000 खेसरा तक– प्रारंभ से 45 दिन (ii) 5000 खेसरा से अधिक– 60 दिन
04.	खानापुरी पर्चा की सुनवाई	आपत्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिन
05.	विश्रांति–प्रथम	प्रारंभ करने से 7 दिन
06.	प्रारूप प्रकाशन की सुनवाई	आपत्ति की तिथि से अधिकतम 60 दिन
07.	विश्रांति–द्वितीय	प्रारंभ करने से 15 दिन

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त सूची अनुसार अपने–अपने जिले में विशेष सर्वेक्षण का कार्य संपादित कराना सुनिश्चित करेंगे एवं निर्धारित किए गए समयावधि के उपरांत प्रक्रमवार विलंब अवधि का संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मी का मानदेय भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। यह आदेश वर्त्तमान में प्रक्रमवार चल रहे कार्यों पर एवं भविष्य में जिन राजस्व ग्रामों में प्रक्रमवार कार्य प्रारंभ किए जाने हैं, उन पर लागू होगा। जिन राजस्व ग्रामों में प्रक्रमवार कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, वे इस आदेश की परिधि से बाहर रहेंगे। विशेष परिस्थिति हेतु संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मी से विलंब का कारण प्राप्त करते हुए अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ निदेशालय को विमुक्ति हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से सभी जिलों हेतु लागू समझा जाएगा।

(जय सिंह) 24/7/23
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0–09/2022...5966... **पटना, दिनांक** :–25/10/2023

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता, बिहार/बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/अपर समाहर्त्ता/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0)/विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2023\Akaash Priyadarshi\Order\file no.- 09_2022_19.07.2023.doc

ज्ञापांकः – 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0–09 / 2022.....5966.....**पटना, दिनांक** :–25/10/2023

प्रतिलिपिः– निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी / सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग / प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय / स्थापना शाखा / स्थापना क्षेत्रीय / प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0–09 / 2022.....5966.....**पटना, दिनांक** :–25/10/2023

प्रतिलिपि :– सभी जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0–09 / 2022.....5966.....**पटना, दिनांक** :–25/10/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0–09 / 2022.....5966.....**पटना, दिनांक** :–25/10/2023

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
24/7/23